

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग

प.13(76)कार्मिक/क-1/गो.प्र./2021/02463

जयपुर, दिनांक:

—: परिपत्र :-

विषय:—समस्त राजसेवकों द्वारा स्वयं का अचल सम्पत्ति विवरण (IPR) ऑनलाईन भरने के सम्बन्ध में।

समस्त राजसेवकों द्वारा प्रतिवर्ष **01 जनवरी की स्थिति में स्वयं का अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी** तक भरे जाने का प्रावधान किया हुआ है, जिसके बिन्दु निम्न प्रकार है:—

1. राजसेवकों द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण SSO पोर्टल द्वारा Login • <https://sso.rajasthan.gov.in> → RajKaj IPR अथवा राजकाज 2.0 पोर्टल द्वारा Login • <https://erajkaj.rajasthan.gov.in> → Fill IPR or Sign In पर भरकर Submit किया जावेगा।
2. प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य के समस्त राजसेवकों द्वारा वर्ष 2025 (01 जनवरी 2026 की स्थिति में) का अचल सम्पत्ति विवरण दिनांक 31 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से भरा जाना है। 31 जनवरी पश्चात IPR MODULE बंद होने पर अचल सम्पत्ति विवरण नहीं भरा जा सकेगा।
3. विभागीय परिपत्र क्रमांक प.13(76)का./क-1/गो.प्र./2011 दिनांक 29.06.2021 के तहत राजसेवक द्वारा स्वयं के अचल सम्पत्ति विवरण की सूचना ऑनलाईन नहीं भरने पर संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा उनको विजीलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जावेगी व वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जावेगा एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में विभागीय परिपत्र दिनांक 19.01.23 अनुसार कार्यवाही की जावेगी। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्डों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं व उपक्रमों पर भी लागू है।
4. राजसेवकों को Online IPR भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई के निराकरण के संबंध में IT अधिकारी से 0141-292(2281) (1149)(1856) एवं (1304) पर सम्पर्क कर सकते हैं।
5. अचल सम्पत्ति विवरण ऑनलाईन भरने के संबंध में संक्षिप्त मार्गदर्शिका एवं IPR Flow Chart परिपत्र के साथ संलग्न है।

Signature valid

Digitally signed by Archana Singh
Designation: Secretary To
Government
Date: 2025.12.31 15:47:42 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19652290



अतः समस्त राजसेवक वर्ष 2025 का अचल सम्पत्ति विवरण उक्त निर्धारित समयावधि में राजकाज पोर्टल के IPR MODULE पर भरना सुनिश्चित करें, साथ ही समस्त प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों को उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार व्यादिष्ट किया जाता है कि आपके अधीन कार्यरत समस्त राजसेवकों तथा बोर्डों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं व उपक्रमों में कार्यरत राजसेवकों को स्वयं का अचल सम्पत्ति विवरण IPR MODULE पर ऑनलाईन समय सीमा में भरवाये जाने हेतु निर्देशित करें।

(अर्चना सिंह)
शासन सचिव

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. अति. मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मा. उप मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें।
8. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
9. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग-7 कापियों सहित।
10. अतिरिक्त निदेशक, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग।
11. तकनीकी निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

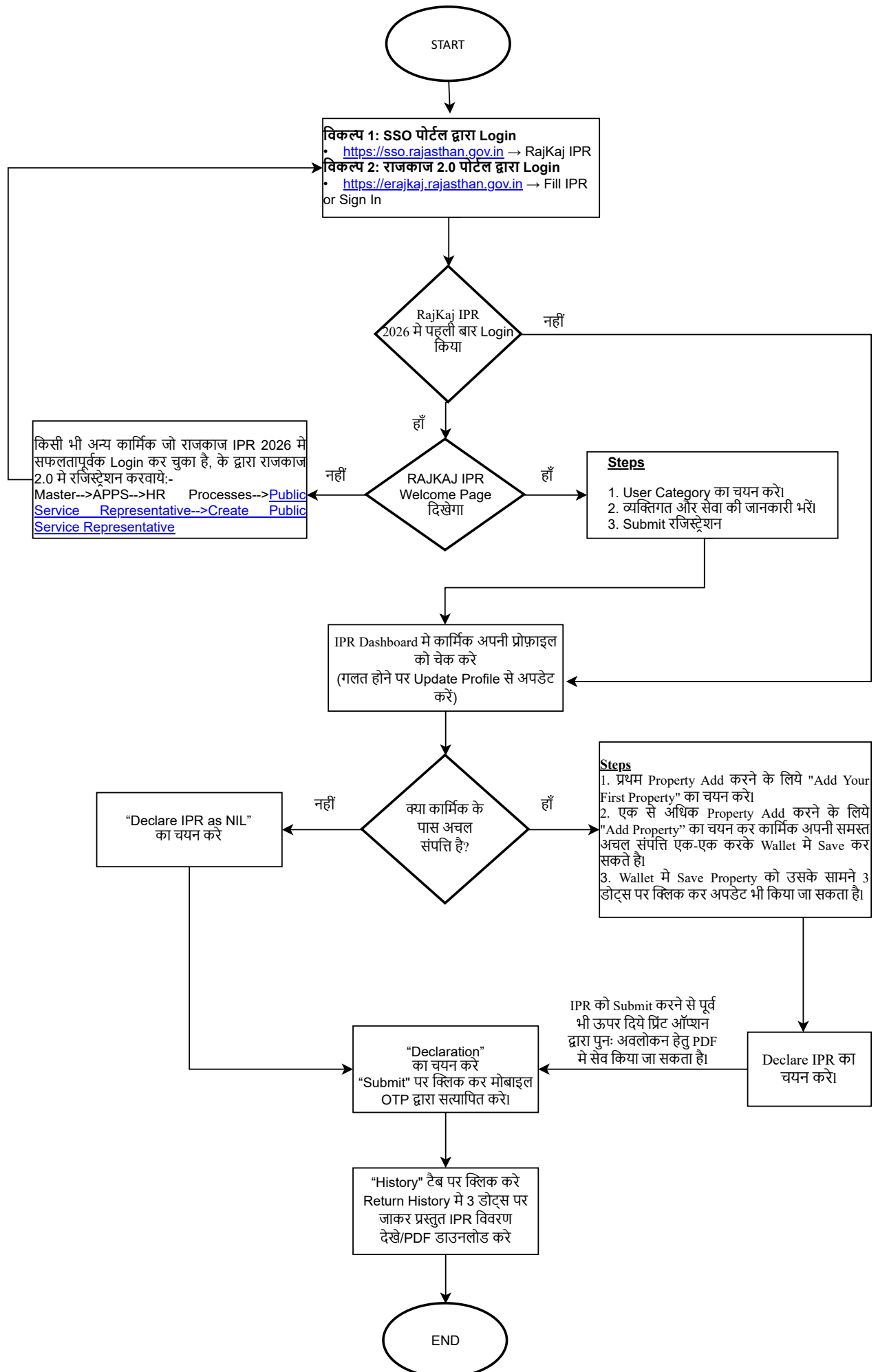
1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
6. पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. समस्त राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर।

Signature valid

Digitally signed by Archana Singh
Designation: Secretary To
Government
Date: 2025.12.31 15:47:42 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19652290

IPR Flow Chart



अचल संपत्ति विवरण

(Immovable Property Return – IPR)

संक्षिप्त मार्गदर्शिका (Short User Manual)

1. उद्देश्य

राजस्थान सरकार के समस्त राज सेवको द्वारा प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण राजकाज सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन अनिवार्यतः प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है।

2. पूर्व-अपेक्षाएँ

- राजकार्मिक की **SSO ID सक्रिय** हो।
- RajKaj IPR पोर्टल पर प्रदर्शित **प्रोफाइल विवरण सही** हो (नाम, पदनाम, कार्यालय का विवरण आदि)।
- SSO में पंजीकृत **मोबाइल नंबर अपडेट** हो (OTP के माध्यम से IPR वेरीफाई किये जाने हेतु आवश्यक)।

3. RAJKAJ IPR पोर्टल लॉगिन हेतु उपलब्ध विकल्प

विकल्प 1: SSO पोर्टल द्वारा

- <https://sso.rajasthan.gov.in> → RajKaj IPR

विकल्प 2: राजकाज 2.0 पोर्टल द्वारा

- <https://erajkaj.rajasthan.gov.in> → Fill IPR or Sign In

लॉगिन के पश्चात **RAJKAJ IPR Dashboard** प्रदर्शित होगा।

4. प्रोफाइल जाँच एवं अद्यतन

अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत किये जाने से पूर्व अपनी प्रोफाइल यथा कार्मिक का नाम, नियुक्तिकर्ता विभाग, वर्तमान पदस्थापन कार्यालय आदि की जानकारी को आवश्यक रूप से जाँच लें। यदि कोई विवरण गलत हो, तो **Update Profile** विकल्प से उसे सही करें।

5. IPR भरने के विकल्प

5.1 Declare IPR as NIL

यदि राजकार्मिक के पास स्वयं / आश्रित के नाम से अथवा साझेदारी में **कोई अचल संपत्ति नहीं है**, तो **Declare IPR As Nil** विकल्प चुनें।

5.2 Add Your First Property

यदि राजकार्मिक के पास स्वयं / आश्रित के नाम से अथवा साझेदारी में अचल सम्पत्ति है तो **Add Property** विकल्प के माध्यम से संपत्तियों के विवरण का इन्द्राज करे।

6. सम्पत्ति से सम्बंधित विवरण का इन्द्राज किया जाना

Step-1: Property Details (सम्पत्ति का विवरण)

- Property Type:** Residential / Agricultural / Commercial / Industrial
- Property Sub-Type:** (जैसे Flat, Plot, Land, Shop, Office आदि)

Step-2: Property Address (सम्पत्ति के भौतिक पते का विवरण)

- Location:** Rural / Urban
- Address Line 1 & 2:** मकान/प्लॉट संख्या, मोहल्ला, लैंडमार्क
- Pincode, State, District:** अनिवार्य

Step-3: Ownership Details (स्वामित्व विवरण)

- **Self (स्वयं):** सम्पत्ति स्वयं के नाम होने की स्थिति में
- **Dependent (आश्रित):** आश्रित के नाम होने की स्थिति में
- **Joint (संयुक्त):** यदि साझेदारी में है

आश्रित/साझेदार का नाम, संबंध एवं संपर्क नंबर दर्ज करें।

Step-4: Financial Details (वित्तीय विवरण)

- संपत्ति अर्जन का माध्यम: Purchase / Loan / Gift / Inheritance / Lease आदि
- **Date of Acquisition:** पूर्ण दिनांक या वर्ष का इन्द्राज किया जाना आवश्यक
- **Present Market Value:** सम्पत्ति का वर्तमान अनुमानित मूल्य
- **Annual Income:** यदि कोई हो

Step-5: Save

- भरे हुए अचल सम्पत्ति विवरण को सेव करें।

7. सम्पत्ति वॉलेट

राजकार्मिकों के द्वारा दर्ज की गई समस्त सम्पत्तियाँ **Property Wallet** में प्रदर्शित होंगी—

- **Update Property:** इन्द्राज की गयी सम्पत्ति के विवरण संशोधित / अद्यतन किये जाने हेतु
- **Mark as Release: IPR Declare** करने के बाद सम्पत्ति को बेचे जाने, उपहार दिये जाने अथवा सरकार द्वारा सम्पत्ति को अधिग्रहण करने पर **Mark as Release** विकल्प का चयन कर सकते हैं।
- **Delete Property: IPR Declare** करने के पहले गलती से **Add** की हुई सम्पत्ति को **Delete Property** विकल्प द्वारा Delete किया जा सकता है।

नोट: IPR Declare करने के उपरांत प्रॉपर्टी को डिलीट नहीं किया जा सकेगा।

8. सम्पत्ति का डिक्लेरेशन

- सम्पत्ति होने की स्थिति में - **Declare IPR** बटन पर क्लिक करें।
- यदि कार्मिक के पास कोई सम्पत्ति नहीं है तो - **Declare IPR as NIL** विकल्प चयन करें
- Declaration विकल्प में सहमती हेतु चेक बॉक्स पर क्लिक कर **Submit** बटन पर क्लिक करें
- SSO प्रोफाइल में प्रदर्शित मोबाइल नंबर पर प्राप्त **OTP दर्ज कर Verify** करें

OTP सत्यापन के बाद **IPR Submission** पूर्ण हो जाएगा

9. History एवं PDF डाउनलोड

- View Details – प्रस्तुत किये गए अचल सम्पत्ति विवरण को देखने हेतु
- Download PDF – प्रिंट किये जाने एवं PDF में डाउनलोड किये जाने हेतु